न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 1692–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–10–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 43 अपील/2009–10.

देवनारायण आत्मज नर्मदा प्रसाद
निवासी जेल रोड, वार्ड नम्बर, 10
लोखरतलाई नाका सिवनी मालवा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद ....अपीलार्थी

विरूद्ध

1– नवल किशोर धामन्द्रे पिता शंकरलाल धामन्द्रे
निवासी वार्ड नम्बर, 12 सिवनी मालवा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद

2– मुख्य नगर पालिका अधिकारी
द्वारा नगर पालिका परिषद, सिवनी मालवा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद ....प्रत्यर्थीगण

श्री आर.व्ही. शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/1/11 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (3) के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 13–10–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कमांक 1 नवल किशोर द्वारा नजूल अधिकारी, सिवनी मालवा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि शासकीय निस्तारी रास्ते पर आवेदक देवनारायण द्वारा अतिक्रमण कर रास्ता बन्द कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–68/2005–06 दर्ज कर दिनांक 30–10–2006 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि राजस्व निरीक्षक (नजूल) के पास मूल नक्सा नहीं है, उनके द्वारा नजूल नक्सा के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह सिद्ध नहीं होता है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, आवेदक के विरूद्ध दर्ज अतिक्रमण का प्रकरण समाप्त किया गया । नजूल अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपर कलेक्टर, होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 18–1–2007 को आदेश पारित कर नजूल अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–10–2011 को आदेश पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नजूल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किये गये एवं प्रकरण नजूल अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे नजूल खसरा एवं नक्सा के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि करें कि नगर पालिका परिषद द्वारा आवंटित की गई दुकानों की जगह के अतिरिक्त आवेदक देवनारायण द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण तो नहीं किया गया है, तत्पश्चात प्रकरण का विधिसंगत निराकरण किया जाना सुनिश्चत करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये

(1) प्रश्नाधीन भूखण्ड के संबंध में व्यवहार वाद कमांक 10–अ/1990 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, सिवनी मालवा के यहां प्रस्तुत किया गया था, जिसमें व्यवहार न्यायालय

द्वारा दिनांक 17–7–1995 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूखण्ड को अनावेदक कमांक 2 का मान्य करते हुए डिक्री पारित की गई है, उक्त डिक्री आवेदक द्वारा नजूल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर नजूल अधिकारी द्वारा दिनांक 30–10–2006 का आवेदक को शासकीय भूमि में अतिक्रमण मान्य नहीं किया गया है । उक्त डिक्री आवेदक की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष भी प्रस्तुत की गई थी, परन्तु उस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है, क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है ।

(2) प्रश्नाधीन भूखण्ड अनावेदक कमांक 2 का होकर आवेदक के पिता को किराये पर दिया गया है, और आवेदक के पिता की मृत्यु होने पर आवेदक को किराये पर दिया गया है । इस आधार विगत 40 वर्षों से बिना किसी रोक–टोक के प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा होकर वह अपना व्यवसाय कर रहा है, और अनुबंध पत्र दिनांक 7–8–2013 से प्रश्नाधीन भूखण्ड आवेदक को किराये पर दिया गया है, इसलिए आवेदक के विरूद्ध अतिक्रमण का प्रकरण नहीं चल सकता है । उक्त स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समर्थन देते हुए उल्लेख किया गया कि प्रश्नाधीन भूखण्ड आवेदक को किराये पर दिया गया है, और वे विगत 40 वर्षों से उक्त भूखण्ड पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं ।

5/ प्रत्यर्थी कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत की जाना थी, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी की ओर से अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण कमांक 33/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 13–10–2011 के विरूद्ध तृतीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । संहिता की धारा 44 में तृतीय अपील प्रस्तुत किये

जाने का प्रावधान नहीं है । अतः यह अपील विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण नजूल अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया है, जहां अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–10–2011 हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 13–10–2011 स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर